भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1529

उत्तर देने की तारीख 13.02.2025

एमएसएमई क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी उन्नयन

1529. **श्री अरविंद धर्मापुरीः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा राज्यों विशेषकर तेलंगाना में एमएसएमई क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा एमएसएमई को कोई राजसहायता प्रदान की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के आरंभ से राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कुल आवंटित और उपयोग किए गए बजट का ब्यौरा क्या है;

(घ) एमएसएमई उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने पर इन राजसहायताओं का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) एमएसएमई में उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाए जाने की दर कितनी है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) एमएसएमई क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एमएसई-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सामान्य सुविधा केंद्र), टूल रूम/प्रौद्योगिकी केंद्र, सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई)- परिवर्तन हेतु हरित निवेश वित्तपोषण (गिफ्ट) स्कीम तथा एमएसएमई चैंपियंस स्कीम शामिल हैं।

(ख) एमएसएमई निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार निम्नलिखित पहलें कर रही है:

i. एमएसएमई मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

ii. एमएसएमई मंत्रालय की निर्यात ऋण गारंटी स्कीम (ईसीजीएस) निर्यातकों को ऋण की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करती है और निर्यात से जुड़े जोखिमों को कम करती है।

iii. एमएसएमई क्षेत्र के लिए रुपया निर्यात ऋण के प्री- और पोस्ट-शिपमेंट पर ब्याज समानीकरण स्कीम को भी दिनांक 31-12-2024 तक बढ़ा दिया गया है, जिसके लिए कुल 12788 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

iv. निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) और बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।

v. वस्त्र क्षेत्र के निर्यात की श्रम-उन्मुखी कुछ वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय शुल्क और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम को दिनांक 07.03.2019 से कार्यान्वित किया गया है।

vi. दिनांक 01.01.2021 से निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम का कार्यान्वयन किया गया है। दिनांक 15.12.2022 से, शामिल न किए गए क्षेत्रों जैसे फार्मास्यूटिकल्स, कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन और लोहा तथा इस्पात आर्टिकल को आरओडीटीईपी के अंतर्गत शामिल किया गया है।

vii. व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने हेतु उत्पत्ति प्रमाण पत्र के लिए एक सामान्य (कॉमन) डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है।

viii. प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके, इन उत्पादों के निर्यात में आने वाली बाधाओं को दूर करके और जिले में रोजगार सृजित करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/निर्माताओं की सहायता करके निर्यात केंद्र के रूप में जिला पहल की शुरूआत की गई है।

ix. सरकार ने 11 सितंबर 2024 को ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर एक सूचना और मध्यस्थता मंच है, जो नए और मौजूदा दोनों निर्यातकों के लिए व्यापक सेवाएं प्रदान करने हेतु विदेश में भारतीय मिशनों और वाणिज्य विभाग और अन्य संगठनों के अधिकारियों को एक साथ लाता है।

(ग) से (ङ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम का कार्यान्वयन करता है जो एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। आईसी स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, निधियों का आवंटन/विमोचन राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार/जिला-वार किया जाता है; इसके बजाय, अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी के लिए प्रतिपूर्ति के आधार पर देश भर में फैले उद्योग संघों/संगठनों के माध्यम से एमएसएमई की सुविधा के लिए निधियां जारी की जाती है। संशोधित आईसी स्कीम की शुरुआत से अब तक आवंटित और उपयोग किए गए कुल बजट का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	**बजटीय आवंटन (रुपए करोड़ में)**	**वास्तविक व्यय (रुपए करोड़ में)**
वि.व. 2022-23	11.30	11.28
वि.व. 2023-24	19.31	19.22
वि.व. 2024-25 (दिनांक 11.02.2024 तक की स्थिति के अनुसार)	18.00	10.94

इसके अतिरिक्त, एमएसएमई मंत्रालय की आईसी स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित एमएसएमई का विवरण **अनुबंध-क** में दिया गया है।

****

अनुबंध-क

पिछले 5 वर्षों के दौरान (31.01.2025 तक) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित एमएसएमई की संख्या

1. आंध्र प्रदेश

वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि (रु. में)	सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या
2020-21	0	0
2021-22	0	0
2022-23	7062312	18
2023-24	925357	4
2024-25	382822	1

2. अरुणाचल प्रदेश

वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि (रु. में)	सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या
2020-21	-	-
2021-22	-	-
2022-23	-	-
2023-24	-	-
2024-25	936973	6

3. असम

वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि (रु. में)	सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या
2020-21	-	-
2021-22	-	-
2022-23	1640353	2
2023-24	1903329	3
2024-25	1144865	1

4. बिहार

वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि (रु. में)	सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या
2020-21	-	-
2021-22	-	-
2022-23	-	-
2023-24	327189	1
2024-25	-	-

5. चंडीगढ़

वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि (रु. में)	सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या
2020-21	-	-
2021-22	-	-
2022-23	-	-
2023-24	327911	1
2024-25	-	-

6. छत्तीसगढ़

वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि (रु. में)	सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या
2020-21	-	-
2021-22	-	-
2022-23	-	-
2023-24	-	-
2024-25	358642	1

7. दिल्ली

वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि (रु. में)	सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या
2020-21	4763671	18
2021-22	18104171	5
2022-23	59980887	126
2023-24	31463841	84
2024-25	9140677	22

8. दमन और दीव

वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि (रु. में)	सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या
2020-21	-	-
2021-22	-	-
2022-23	-	-
2023-24	-	-
2024-25	362146	1

9. गुजरात

वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि (रु. में)	सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या
2020-21	263552	4
2021-22	-	-
2022-23	1525857	2
2023-24	25782101	73
2024-25	13422484	41

10. हरियाणा

वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि (रुपये में)	सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या
2020-21	268573	5
2021-22	-	-
2022-23	191676	1
2023-24	8707812	35
2024-25	5261506	18

11. हिमाचल प्रदेश

वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि (रु. में)	सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या
2020-21	-	-
2021-22	-	-
2022-23	-	-
2023-24	699386	3
2024-25	575452	2

12. जम्मू एवं कश्मीर

वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि (रु. में)	सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या
2020-21	-	-
2021-22	-	-
2022-23	-	-
2023-24	313461	1
2024-25	443754	1

13. झारखंड

वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि (रु. में)	सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या
2020-21	-	-
2021-22	-	-
2022-23	-	-
2023-24	-	-
2024-25	-	-

14. कर्नाटक

वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि (रु. में)	सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या
2020-21	611242	1
2021-22	-	-
2022-23	118850	1
2023-24	4450493	14
2024-25	3867939	11

15. केरल

वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि (रु. में)	सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या
2020-21	-	-
2021-22	-	-
2022-23	-	-
2023-24	2529128	8
2024-25	353853	1

16. मध्य प्रदेश

वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि (रु. में)	सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या
2020-21	843236	6
2021-22	-	-
2022-23	1464735	1
2023-24	1712964	6
2024-25	1644814	3

17. महाराष्ट्र

वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि (रु. में)	सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या
2020-21	5552914	29
2021-22	1604786	5
2022-23	19083524	39
2023-24	44226137	112
2024-25	14978929	52

18. मेघालय

वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि (रु. में)	सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या
2020-21	-	-
2021-22	-	-
2022-23	-	-
2023-24	352320	1
2024-25	-	-

19. नागालैंड

वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि (रु. में)	सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या
2020-21	-	-
2021-22	-	-
2022-23	-	-
2023-24	-	-
2024-25	-	-

20. ओडिशा

वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि (रु. में)	सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या
2020-21	-	-
2021-22	-	-
2022-23	-	-
2023-24	3196513	10
2024-25	-	-

21. पंजाब

वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि (रु. में)	सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या
2020-21	1556980	16
2021-22	-	-
2022-23	1565000	2
2023-24	13570931	42
2024-25	3489108	9

22. राजस्थान

वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि (रु. में)	सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या
2020-21	-	-
2021-22	-	-
2022-23	-	-
2023-24	2697468	15
2024-25	5199223	15

23 तमिलनाडु

वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि (रु. में)	सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या
2020-21	3207588	15
2021-22	-	-
2022-23	-	-
2023-24	5993276	28
2024-25	5896058	20

24. तेलंगाना

वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि (रु. में)	सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या
2020-21	-	-
2021-22	3302263	5
2022-23	2114960	2
2023-24	8762064	17
2024-25	3242655	9

25. उत्तर प्रदेश

वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि (रु. में)	सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या
2020-21	939615	8
2021-22	186167	12
2022-23	2860989	2
2023-24	20417385	66
2024-25	13356457	43

26. उत्तराखंड

वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि (रु. में)	सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या
2020-21	-	-
2021-22	-	-
2022-23	-	-
2023-24	813274	4
2024-25	-	-

27. पश्चिम बंगाल

वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि (रु. में)	सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या
2020-21	-	-
2021-22	6000000	31
2022-23	13659479	33
2023-24	10273484	31
2024-25	4506677	15